न्यायालय:अपर सेशन न्यायाधीश सं0-02 बयाना, कैम्प रूपबास, जिला भरतपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- प्रशांत शर्मा, RJS (डी0 जे0 कैडर)
विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या :- 42/26
सी.आई.एस. नम्बर :- 76/2026

01. प्रेमसिंह पुत्र रामजीलाल, उम्र 59 साल,
02. रामकटोरी पत्नि सियाराम, उम्र 78 साल,
03. रामवती पत्नि बाबू, उम्र 60 साल,
04. राजकुमारी पत्नि उदयसिंह उर्फ उद्दे, उम्र 45 साल,
05. माया पत्नि वीदाराम, उम्र 50 साल,
06. तुलसा पत्नि करनसिंह, उम्र उम्र 53 साल,
07. जयश्री पत्नि ताराचंद, उम्र 51 साल,
08. कस्तूरी पत्नि विजयपाल, उम्र 56 साल,
09. भागवती पत्नि नाहरसिंह, उम्र 63 साल,
10. सपिता पत्नि टिंकू, उम्र 30 साल,
11. रति पत्नि जितेन्द्र, उम्र 33 साल,
12. लीला पत्नि फतेहसिंह, उम्र 61 साल,
13. सपना पत्नि जगदीश, उम्र 36 साल,
14. भूदेवी पत्नि विनोद, उम्र 40 साल,
15. रामवती पत्नि राजकुमार, उम्र 32 साल,
16. मीना पत्नि राजेन्द्र, उम्र 58 साल

निवासीयान- जरैला थाना रूपबास, जिला भरतपुर ।

-- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक।

--अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी०एन०एस०एस०
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 83/2026 पुलिस थाना रूपबास
अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 326(जी) बीएनएस

उपस्थितिः-

01. श्री भोजेन्द्र तिवारी, हरदौल सिंह अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

03. श्री ओमप्रकाश तिवारी, अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से

-: आदेश :-

दिनांकः- 09.03.2026

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गई। केस डायरी पेश हुई।

02. प्रार्थना पत्र से संबंधित, संस्थित प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 26.02.2026 को प्रार्थी सतीश कुमार ने पुलिस थाना रूपबास में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी, कि प्रार्थी की पंजीकृत दुकान देशी एवं अंग्रेजी बीयर संख्या 23 जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत सत्र 2025-2026 के लिए माल भण्डारण के लिए आबकारी अधिकारी द्वारा एक गोदाम जरैला दौरदा रोड पर दौरदा में स्वीकृत है। जिस पर बतौर कर्मचारी देखरेख हेतु बनवारी लाल पुत्र जसंवतसिहं को रखा हुआ है। दिनांक 26-02-2026 को समय करीब 2 बजे उसके साथी मनीपाल के पास बनवारी का फोन पहुँचा, तो उसने बताया कि जरैला गांव के प्रेम जाटव, गोपाल लोधा, जगदीश कुम्हार, बॉबी, सुरेश शराब के नशे में धुत आये और गाली-गलौच करते हुए शराब देने के लिए कहने लगे । बनवारी के मना करने पर उसको जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ चले गये। उसके बाद करीब 2.15 पीएम पर पाँचों व्यक्तियों के साथ 50-60 महिलायें अपने हाथो में लाठी, डण्डा व पेट्रोल लेकर आये और जान से मारने की नियत से गोदाम के चारों और पेट्रोल डालकर आग लगा दी । उस वक्त कर्मचारी गोदाम में अन्दर था, जो बमुश्किल अपनी जान बचाकर बाहर आया । मौके पर पुलिस ने रामकटोरी, रामवती पत्नि बाबूलाल, राजकुमारी, माया, सपना, भूदेवी, मीना, तुलसा, जयश्री, रामवती पत्नि राजकुमार, किस्तूरा, भगवती, सविता, रति, लीला, मौके से पकड लिया तथा छोटू पुत्र भरतसिहं, सहित करीब 40-50 औरते व पुरुष मौके से भाग गये। मौके पर करीब 15-20 लाख

रुपये का नुकसान हुआ है ।....इत्यादि पर मुकदमा नंबर 83/2026 अपराध धारा 189(2), 326(जी) बीएनएस में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

03. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपबास द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.03.2026 को खारिज किया जा चुका है।

04. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है, कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं होनी है एवं अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 27.02.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में चले आ रहे हैं। यह भी तर्क रहा है, कि प्रार्थिया/अभियुक्ता भागवती की पुत्री की दिनांक 11.03.2026 को होनी है तथा मामले में मजरुबान के शरीर पर कोई गम्भीर चोट कारित नहीं हुई हैं, न ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का परिवादी पक्ष को जान से मारने का ही कोई आशय रहा है । प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदतन अपराधी नहीं है । प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है । अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

06. उभय पक्षों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर परिवादी की पंजीकृत दुकान देशी एवं अंग्रेजी बीयर संख्या 23 जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत सत्र 2025-26 के लिये माल भण्डारण के लिये आबकारी अधिकारी द्वाराएक गोदाम, जो दौरदा रोड पर दौरदा में स्थित है, को विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर पेट्रोल डालकर आग लगाकर रिष्टि कारित करने का आरोप है । पुलिस थाना रूपबास द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 189(2), 326(जी) बीएनएस का आरोप प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 27.02.2026 से अभिरक्षा में है एवं

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरादमगी होना शेष होना नहीं बताया गया है। विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थिया/अभियुक्ता भागवती की पुत्री की शादी 11 मार्च, 2026 को होना सुनिश्चित है, जिसके संबंध में प्रार्थिया/अभियुक्ता के द्वारा शादी का कार्ड भी प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थिया/अभियुक्ता रामकटोरी 78 साल की वृद्ध महिला है । प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना नहीं बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को और अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

07. अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के समस्त तथ्य-परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: आदेश:-

08. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 01. प्रेमसिंह, 02. रामकटोरी, 03. रामवती पत्नि बाबू, 04. राजकुमारी, 05. माया, 06. मीना, 07. तुलसा, 08. जयश्री, 09. कस्तूरी, 10. भागवती, 11. सपिता, 12. रति, 13. लीला, 14. रामवती पत्नि राजकुमार, 15. भूदेवी, 16. सपना, निवासीयान जरैला थाना रूपबास, जिला भरतपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50,000/- रूपये का स्वयं का बंधपत्र विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद हर तारीख पेशी पर उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की एक सत्यप्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब भिजवाई जावे ।

(प्रशांत शर्मा)

09. यह आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं सी.आई.एस. पर अपलोड किया गया।

(प्रशांत शर्मा)